

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र. १६४३/२२/वि-१२/ग्रासप्रा/IT-१/२०

भोपाल, दिनांक ३०/०१/२०२०

प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त)

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई.....(म.प्र.)

विषय:- ई-मार्ग नेशनल पोर्टल पर बनाये जाने वाले लॉगिन के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्राधिकरण में DLP अंतर्गत मार्गों का संधारण ई-मार्ग नेशनल पोर्टल (<https://emarg.gov.in>) के माध्यम से किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि ई-मार्ग नेशनल पोर्टल, वर्तमान में प्रचलित ई-मार्ग/जियो-रीच से तकनीकी रूप से सर्वथा भिन्न है। अतएव यह स्पष्ट किया जाता है कि पी.आई.यू में पदस्थ अधिकारियों तथा संविदाकारों को ई-मार्ग नेशनल पोर्टल पर यूजर आई.डी. तथा पासवर्ड नवीन रूप से बनाये जाने होंगे। इस हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

प्राधिकरण में पदस्थ अधिकारियों हेतु लॉगिन व्यवस्था :-

- परियोजना क्रियान्वयन इकाई में पदस्थ महाप्रबंधक, लेखाधिकारी तथा सहायक प्रबंधक/उपयंत्री उक्त ई-मार्ग नेशनल पोर्टल पर लॉगिन बनाये जाने हेतु पात्र होंगे। ज्ञात हो कि उक्त पोर्टल पर डाटा एण्ट्री आपरेटर के लॉगिन नहीं बनाये जाएंगे।
- ई-मार्ग नेशनल पोर्टल पर लॉगिन व्यवस्था वैयक्तिक रूप से होगी अर्थात् प्रत्येक संबंधित अधिकारी का लॉगिन आई.डी. तथा पासवर्ड भिन्न होगा। उल्लेखनीय है कि वैयक्तिक रूप से प्रदाय यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड साझा नहीं किए जाएंगे तथा प्रत्येक की गई गतिविधि का उत्तरदायित्व संबंधित अधिकारी का होगा।
- ई-मार्ग नेशनल पोर्टल पर लॉगिन बनाने हेतु निम्न गतिविधियों की जानी होगी:-
 - उक्त पोर्टल पर दिये 'Login/New User' लिंक पर जाकर पुनः दी गई 'New User' लिंक पर Click करें।
 - उक्त के पश्चात दर्शित Form में चाही गई प्रविष्टियों कर अपना मोबाइल नम्बर OTP के माध्यम से Verify करें।
 - सम्पूर्ण प्रविष्टियों के पश्चात भरे गये Form को 'Submit' करें।
 - इकाई में पदस्थ समस्त संबंधित अधिकारियों के द्वारा उक्त प्रक्रिया सम्पादित करने के पश्चात महाप्रबंधक(इकाई) द्वारा टास्क मैनेजर, प्राधिकरण मुख्यालय, भोपाल को संबंधित अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित लॉगिन Approve करने हेतु लेख किया जावेगा। तत्पश्चात ही संबंधित अधिकारी को लॉगिन आई.डी. तथा पासवर्ड रजिस्टर्ड ई-मेल तथा मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होंगे।

- उल्लेखनीय है कि प्रदत्त लॉगिन वैयक्तिक हैं, अतः अधिकारी के स्थानांतरण के पश्चात भी यूजर आई.डी. तथा पासवर्ड यथावत रहेंगे। स्थानांतरण होने पर महाप्रबंधक(संबंधित इकाई) द्वारा टास्क मैनेजर, प्राधिकरण मुख्यालय, भोपाल को लेख कर किसी यूजर को दर्शित जिला/पी.आई.यू. में परिवर्तन हेतु आवश्यक रूप से लेख किया जायेगा।
- इकाई में पदरथ अधिकारी की सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्ति/सेवायें वापस होने की दशा में महाप्रबंधक(इकाई) का यह दायित्व होगा कि वह संबंधित की आई.डी. पोर्टल से Deactivate किए जाने हेतु टास्क मैनेजर, प्राधिकरण मुख्यालय, भोपाल को आवश्यक रूप से लेख करें।
- इकाई में नवीन महाप्रबंधक अथवा लेखाधिकारी के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर इकाई द्वारा यह आवश्यक रूप से लेख किया जाएगा कि पूर्व पदरथ महाप्रबंधक अथवा लेखाधिकारी के लॉगिन पर क्या कार्यवाही की जाना है।
- किसी अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार दिये जाने की स्थिति में तदानुसार scope में परिवर्तन हेतु टास्क मैनेजर, प्राधिकरण मुख्यालय, भोपाल को लेख किया जावेगा। उल्लेखनीय है कि अतिरिक्त प्रभार वापस होने की दशा में भी तदानुसार परिवर्तन हेतु लेख करना आवश्यक होगा।

संविदाकारों हेतु लॉगिन व्यवस्था :-

- ई—मार्ग नेशनल मे प्रचलित पैकेजों से संबंधित संविदाकारों का इस पोर्टल पर पृथक से रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक संविदाकार का पूरे प्रदेश में एक ही बार रजिस्ट्रेशन किया जाना होगा तथा उसे प्रदत्त लॉगिन आई.डी. तथा पासवर्ड प्रदेश की समस्त इकाईयों में संबंधित पैकेजों हेतु प्रभावशील होगा। इस हेतु संविदाकारों को आवश्यक प्रशिक्षण देना भी सुनिश्चित किया जाए।
- संविदाकार के रजिस्ट्रेशन हेतु यह आवश्यक होगा कि उसके द्वारा अनुबंधित कम से कम एक पैकेज को Freeze किया गया हो। अन्यथा की स्थिति में रजिस्ट्रेशन संभव नहीं होगा।
- संविदाकार का रजिस्ट्रेशन इकाई के सहायक प्रबंधक/उपयंत्री के लॉगिन से ‘Contractor’ Menu के माध्यम से किया जायेगा। इस हेतु उपलब्ध ऑनलाईन फार्म में आवश्यक जानकारी की प्रविष्टि कर उसे PDF के रूप में Save किया जाएगा तथा PDF पर आवश्यक रूप से परीक्षण कर संविदाकार के हस्ताक्षर तथा सील तथा महाप्रबंधक(इकाई) के हस्ताक्षर तथा सील कर Scan करने के पश्चात पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
- संविदाकार का रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाईल नम्बर का विशेष रूप से ध्यान रखा जाये। विवरण अंकित करते समय प्रविष्ट किये गये मोबाईल नम्बर पर ही समस्त OTP तथा Alerts प्रेसित किए जायेंगे।
- तत्पश्चात यह रजिस्ट्रेशन मुख्यालय में आवश्यक परीक्षण कर Approve किया जाएगा। फलस्वरूप संविदाकार को उसके रजिस्टर्ड ई—मेल तथा मोबाईल नम्बर पर लॉगिन आई.डी. तथा पासवर्ड प्राप्त होंगे।

6. संविदाकार द्वारा पासवर्ड भूलने अथवा प्राप्त न होने की स्थिति में संबंधित इकाई द्वारा टास्क मैनेजर, प्राधिकरण मुख्यालय, भोपाल को लेख किया जाएगा। तत्पश्चात मुख्यालय द्वारा पासवर्ड रीसेट कर संविदाकार के रजिस्टर्ड ई-मेल तथा मोबाइल नम्बर पर भेजा जाएगा।
7. संविदाकार के खाता परिवर्तन हेतु इकाई के सहायक प्रबंधक/उपयंत्री द्वारा संविदाकार की उपस्थिति में ऑनलॉइन पोर्टल में आवश्यक प्रविष्टि कर सत्यापन करने के उपरांत संविदाकार के हस्ताक्षर तथा सील तथा महाप्रबंधक(इकाई) के हस्ताक्षर तथा सील कर Scan करने के पश्चात पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। तत्पश्चात मुख्यालय द्वारा इसे Approve किया जायेगा। इस हेतु किसी भी पत्राचार की आवश्यकता नहीं होगी।

उल्लेखनीय है कि ई-मार्ग नेशनल के क्रियाशील होने के पश्चात भी वर्तमान प्रचलित ई-मार्ग (राज्य संस्करण) समानान्तर रूप से प्रभावी रहेगा। अतएव उक्त गतिविधियों के विषय में मुख्यालय से पत्राचार करते समय संबंधित पोर्टल (ई-मार्ग नेशनल अथवा ई-मार्ग राज्य संस्करण) का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाए।

ई-मार्ग नेशनल के प्रदेश में शीघ्र तथा सुचारू क्रियान्वयन हेतु समस्त इकाईयों उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार संबंधित अधिकारियों तथा संविदाकारों के लॉगिन दिनांक 10 फरवरी 2020 तक बनाये जाना सुनिश्चित करें।

ई-मार्ग नेशनल पर यूजर आई.डी. प्रभावशील होने के पश्चात 'Help' Menu में User Manual उपलब्ध होगा। उपरोक्त उल्लेखित निर्देशों सहित User Manual का संदर्भ लिया जाना उचित होगा। समस्त इकाईयों से यह अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त निर्धारित व्यवस्था का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

(उमाकांत शर्मा)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

म.प्र.ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30/01/2020

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख अभियंता, म.प्र. ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. श्री विवेक चितले, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एवं अतिरिक्त राज्य सूचना – विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.-म.प्र., विन्ध्याचल भवन, भोपाल(म.प्र.) को सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक (समस्त) म.प्र. ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य महाप्रबंधक (निविदा एवं ई-गवर्नेंस), म.प्र.ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल(म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) म.प्र. ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. महाप्रबंधक(संधारण-1, 2) म.प्र. ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक(ई-मार्ग) म.प्र. ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. टास्क मैनेजर, म.प्र. ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

म.प्र.ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण, भोपाल